कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 2348 जगदलपुर, दिनांक 02/05/17

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

बस्तर वनमण्डल

जगदलपुर

विषय :– Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Laying optical fibre cable from Jagdalpur to Bhanpuri in Bastar District Chhattisgarh, area - 0.669 ha. regarding

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/ मा.चि./941 दिनांक 27.04.2017 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक /व.त.अ. /567 दिनांक 01.02.2017 ।

——::000::——

विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है कार्यालयीन संदर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण किये बिना पुनः प्रेषित किया गया है प्रस्ताव में निम्न कमियॉं है :–

1. प्रस्ताव में 0.250 हे. राजस्व वनभूमि शामिल है राजस्व वनभूमि का खसरा B1 एवं मानचित्र संलग्न नही है।
2. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी जिलाध्यक्ष का प्रपत्र एक में लिनियर परियोजनाओं हेतु अंग्रेजी में जारी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
3. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी उपवनमण्डल स्तरीय कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न नही है।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 60,61,63,65,66,67,68,69 में वन परिक्षेत्र, ओ.एफ.सी. की लंबाई एवं क्षेत्रफल आदि कोई जानकारी नही भरा गया है सरपंच का सील में हस्ताक्षर है।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्र./02 दि. 11.11.2014 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे के दौरान प्रत्येक मोड़ पर अस्थायी खूंटी लगाई जायेगी, जिस पर सफेद पेंट से पुताई कर हरा पेंट से पिल्लर क्रमांक एवं डी.जी.पी.एस. से प्राप्त अक्षांश एवं देशांतर को अंकित कर पिल्लर का फोटोग्राफ लगाया जायेगा। परंतु प्रस्ताव के साथ प्रत्यावर्तित क्षेत्र के सर्वेक्षण के अनुसार अस्थायी पिल्लर का फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

Scanned by CamScanner

6. प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 26 के बिन्दु क्रमांक 12 एवं कंडिका क्रमांक 18 में यह उल्लेख है कि बस्तर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आवेदक संस्थान द्वारा अवैध रूप से खुदाई कर जंगल में तोड़ – फोड़ किया गया तथा 380 मीटर तक ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाया गया है सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए पी.ओर.आर.जारी कर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। प्रस्ताव के ऑन लाईन प्रविष्टि में उल्लघंन के संबंध में NO तथा कार्यवाही के संबंध में NO DATA उल्लेख है इस प्रकार दोनों प्रतिवेदनों में भिन्नता है।

7. आवेदक संस्थान द्वारा अवैध रूप से वन क्षेत्र में खुदाई कर जंगल में तोड़ – फोड़ किया गया परन्तु प्रस्ताव मे वन क्षेत्र में हुई हानि के संबंध में कोई प्रतिवेदन संलग्न नही है।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 20.04.2017 के द्वारा जारी निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम के उल्लघंन हेतु प्रकरण में दुगनी दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अधिरोपित कराने तथा महसूल, मुआवजा नियमानुसार वसूल कर प्रतिवेदन संलग्न किया जाना है।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव मूलतः संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
तीन प्रतियों में मूलतः

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

पृ.क्रं./व.त.अ./ 2348 जगदलपुर, दिनांक 02/05/17

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मेसर्स General Manager, Reliance Jio Information Limited 4th flor office No. 401-405 Ambuja Mal, Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

Scanned by CamScanner